

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 37/2021

जी.सी.एम.एस. : 2021/166

अपीलान्टगण	बनाम	रेस्पोजेण्टगण
1. पारसमल पुत्र श्री पुखाराम		1. मदनलाल पुत्र श्री पुखाराम
2. भंवरलाल पुत्र श्री पुखाराम, जाति मेघवाल, निवासी खारिया स्वामी, तहसील सोजत, जिला पाली।		जाति मेघवाल, निवासी खारिया स्वामी, तहसील सोजत
		2. नारायणलाल पुत्र श्री पुखाराम
		जाति मेघवाल, निवासी खारिया स्वामी, तहसील सोजत
		3. देवी चौहान पत्नी रमेश कुमार
		जाति सरगरा, साकिन बजरंग मोटर्स के पीछे, सोजत सिटी,
		4. श्रीमान तहसीलदार सोजत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोजेण्ट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश आर्य।

:- निर्णय :-

दिनांक:- 27.3.2024

अपीलान्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक राजस्व/5057 दिनांक 20.11.2009 के विरुद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोजेण्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। वक्त बहस रेस्पोजेण्टगण संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्टगण एवं अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट संख्या 03 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खारिया स्वामी तहसील सोजत में द्वितीय सेटलमेन्ट के खसरा नम्बर 58 रकबा 0.7800 हैक्टर कृषि भूमि आयी हुई है उक्त आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोजेण्ट संख्या 01 व 02 के पिता पुखाराम पुत्र नेनाराम की खातेदार भूमि है जिसका जैर अपील आदेश के तहत खसरा नम्बर 58/1 रकबा 0.3700 हैक्टर का बंटवारा हो गया। पुखाराम ने अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी का अपने चारों पुत्रों में नजरी नक्शे अनुसार बराबर विभाजन कर दिया था जिसके आधार पर नजीर नक्शा में दर्शित स्थान के अनुसार अपीलान्ट एवं रेस्पोजेण्ट संख्या 01 व 2 का कृषि भूमि पर कब्जा था। पुखाराम के देहान्त के बाद पुखाराम के पुत्रों द्वारा उक्त आराजी में बेरा खुदवाने का निर्णय लिया जिसमें नारायणलाल ने बेरा खुदवाने में आने वाले खर्चा को देने से मना

अति. जिला कलक्टर, पाली



कर देने पर भंवरलाल, मदनलाल एवं पारसमल ने नजरी नक्शे में दर्शित 0 के स्थान पर बेरा खुदवा दिया जिस का तीनो निर्बाद रूप से उपयोग कर रहे है। वर्ष 2009 में राज्य सरकार द्वारा अपना खाता अपना खेत अभियान चलाया गया जिसमें पटवारी हल्का ने पक्षकारों से मुलाकात कर कुछ पक्षकारों से खाली फार्मों पर हस्ताक्षर करवाये एवं आश्वासन दिया कि राजस्व कैम्प में उक्त अपीलाधीन आराजी का बंटवारा करवा दिया जायेगा लेकिन पटवारी हल्का, तहसीलदार सोजत एवं आर. आई ने बिना जांच किये, बिना पक्षकारों की सहमति लिये एक ही दिन में अपने टारगेट पुरे करने के लिए बंटवारा नियमों को ताक में रख कर राजस्व रेकर्ड में आनन फानन में मौके पर काबिज स्थिति को देखे बगैर बंटवारा कर दिया, पटवारी हल्का ने जैर अपील बंटवारा पत्रावली में पक्षकारों को आने जाने के लिए कही रास्ता नही दिखाया गया न ही जैर आराजी पर स्थित बेरे व सडा को प्रदर्शित नही किया गया। मात्र बेरे व सडे के लिए अलग से एक कोने में 0.0500 हैक्टर भुमि को सामलाती रूप से दर्शित किया गया है। प्रथम बंटवारा आदेश संख्या 5056 दिनांक 20.11.2009 के बाद अपीलाधीन बंटवाडा आदेश संख्या 5057 दिनांक 20.11.2009 को उसी समय उसी दिनांक को खसरा नम्बर 58/1 रकबा 0.3700 हैक्टर मूल खसरा मानकर किया गया। जैर अपील बंटवारा आदेश में खसरा नम्बर 58/1 रकबा 0.3700 हैक्टर को दो हिस्सों में बांटा गया। प्रथम हिस्से में भंवरलाल का खसरा नम्बर 58/2 रकबा 0.1800 हैक्टर व द्वितीय हिस्से में पारसमल का खसरा नम्बर 58 रकबा 0.1900 हैक्टर बताया गया। उक्त आराजी के संबध में पूर्व में बंटवारा आदेश 5056 में पटवारी हल्का द्वारा पारसमल, भंवरलाल पिसरान पुखाराम का खसरा नम्बर 58/1 रकबा 0.3700 हिस्सा बताया अब जैर अपील आदेश में पारसमल, भंवरलाल को नये नम्बर क्यो एलोट किये तथा अपीलाण्ट को पूर्व बंटवाडा में एलोट किये गये खसरा नम्बर 58/1 अब किसे और क्यो दिये गया की कोई जानकारी नही थी, न ही पत्रावली में इसके संबध में किसी प्रकार के दस्तावेज या लिखित सहमति है। पटवारी व तहसीलदार के द्वारा बिना समझ समझाईस व सहमति के बंटवाडे आदेश संख्या 5057 को एक ही दिन दिनांक 20.11.2009 को पारित किया गया। पटवारी हल्का ने जो नक्शें बंटवाडा में बताये है वह भी गलत बताये है। पक्षकारों के बीच तय हुए नक्शे के अनुरूप पटवारी हल्का ने बंटवाडा नहीं किया है। पक्षकार कास्तकार है तथा कम पढे लिखे व अनपढ व्यक्ति है। सहमति बंटवारे में पक्षकारों के हस्ताक्षर किये हुये है जबकि पक्षकार अनपढ है तथा अगुठा लगाते है, रेस्पोजेन्ट संख्या 2 द्वारा बेचाणनामें में भी अंगुठा लगाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त बंटवारा बिना पक्षकारों की उपस्थिति में बनाया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि राजस्व अधिकारियों ने बिना मौका देखे, कब्जे की जांच किये बगैर, बिना पक्षकारों को सुने, अपनी मनमर्जी से नक्शा तैयार कर बट्टा नम्बर डाल कर जैर अपील बंटवारा आदेश पारित कर दिया। जो नियमों के विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित होने से काबिल खारिज योग्य है। वर्ष 2015 में रेस्पोजेन्ट संख्या 02 नारायणलाल ने खसरा नम्बर 58/1 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 59/1 रकबा 0.2700 हैक्टर कुल रकबा 0.4500 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 58/3 रकबा 0.0500 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण रेस्पोजेन्ट संख्या 03 को बेचान कर दिया एवं नजरी




(Signature)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

नक्शे के अनुसार कब्जा सुपुर्द कर दिया। रेस्पोजेण्ट संख्या 03 ने उक्त आराजी की ऑन लाईन नकले निकलवायी और अपने पति के साथ जैर आराजी पर स्थिति बेर पर आकर धमकी देने लगे की बंटवारे में बेरे की जमीन नारायणलाल के हिस्से आयी है जिसे हमने खरीद लिया है इसलिए मे इस बेरे के पानी का उपयोग करूंगां नही तो उक्त बेरा मेरे हिस्से में आया हुआ है जिसे में तोड दुगा जबकि बेचाना रजिस्ट्री में कही पर भी बेरा अंकित नहीं है। जिस पर हमने राजस्व विभाग से नकले निकलवाकर जैर अपील बंटवारा आदेश की अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जो काबिल निरस्त योग्य है।

रेस्पोजेण्ट संख्या 3 के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया रेस्पोजेण्ट ने उक्त आराजी वर्ष 2015 में नारायणलाल पुत्र पुखाराम से जरीये बेचान खरीद किया था, एवं बंटवारे के अनुसार नारायणलाल के हिस्से में आयी आराजी रेस्पोजेण्ट संख्या 3 के पास कब्जा काशत है। जैर अपील बंटवारा आदेश राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत किया गया था। अतः अपीलाण्ट को जैर अपील बंटवारे की अपील काशतकारी अधिनियम 1956 की धारा 225 के तहत करनी चाहिये थी जबकि जैर अपील आदेश अपीलाण्ट ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की है, जो नियम विरुद्ध होने से काबिल खारिज योग्य है। जैर अपील बंटवारा आदेश सभी पक्षकारों को सुनकर आपसी सहमति से किया गया है तथा उक्त बंटवारे पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर भी है। जैर अपील बंटवारा आदेश बंटवारा नियमों की पालना करते हुए विधि अनुसार पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद किया। जैर अपील बंटवारा आदेश लोक अदालत की भावना से किया गया है जिसमें सभी पक्षकारों की आपसी सहमति से किया गया है, जिस पर पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं थी तथा बंटवाडे में कोई गलती भी नहीं है। जैर अपील आदेश दिनांक 20.11.2009 को पारित किया है, जिसे लगभग 11 वर्ष से अधिक समय बाद न्यायालय में अपील पेश की है, प्रथम दृष्टया ही म्याद बाहर होने से काबिल निरस्त है। अतः जैर अपील प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील उनके हक अधिकारों से संबंधित होने से अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील बंटवारा आदेश संख्या 5057 दिनांक 20.11.2009 के विरुद्ध पेश की गई है। उक्त आराजी ग्राम खारिया स्वामी तहसील सोजत के खसरा नम्बर 58 रकबा 0.7800 हैक्टर कृषि भुमि जो की पुखाराम पुत्र नेनाराम की खातेदारी भुमि है जिसे पुखाराम ने अपने चारों पुत्रों अपीलाण्टगण, रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 में बराबर हिस्सों में विभाजित किया जिस पर सभी पक्षकार काबिज थे। वर्ष 2009 में राजस्थान सरकार की अपना खाता अपना खेत अभियान के तहत तहसीलदार सोजत के समक्ष भंवरलाल, पारसमल द्वारा खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 58 के आपसी सहमति बंटवारे का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर है। जिसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का रिपोर्ट, नजरी नक्शा पर भी सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त बंटवाडा सभी पक्षकारों को सुनकर उनकी


अति. जिला कलक्टर, पाली



आपसी सहमति से किया गया है। तदुपरान्त तहसीलदार सोजत द्वारा आदेश क्रमांक 5057 दिनांक 20.11.2009 के द्वारा राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने व नक्शे में तरमीम करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के द्वारा पारसमल के हिस्से में 58 रकबा 1.900 हैक्टर तथा भंवरलाल के हिस्से में खसरा नम्बर 58/2 रकबा 0.1800 हैक्टर दर्ज किया गया। फलतः जैर बंटवारा आदेश नियमानुसार एवं सभी पक्षकारों की सहमति से किये जाने से इसे यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अपीलाण्टगण अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि पक्षकार अनपढ है जबकि आपसी सहमति बंटवाडे में सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर किये गये हैं किसी भी पक्षकार का अंगुष्ठ निशान नहीं है। जिससे यह सिद्ध होता है कि यह आपसी सहमति बंटवाडा पक्षकारों की अनुपस्थिति एवं उन्हें बिना सुने गलत तरीके से किया गया है। इस तथ्य को इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यदि पक्षकारों को यह ज्ञात था कि सहमति बंटवाडे पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं तो उनके द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) क्यों नहीं दर्ज करवायी गयी। जिस सम्बन्ध में अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं करवायी गई है। इससे स्पष्ट है कि जैर अपील में उक्त सहमति बंटवाडे की जानकारी सभी पक्षकारों को पूर्व से थी जिस पर सभी पक्षकारों की सहमति होने पर तहसीलदार सोजत द्वारा सहमति बंटवाडे के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम हेतु आदेश 5057 दिनांक 20.11.2009 पारित किया गया, जो न्यायसंगत होने से उचित व सही है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक राजस्व/5057 दिनांक 20.11.2009 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की सत्य प्रति के साथ मूल रेकॉर्ड भिजवाया जावे।

Luok

(डॉ राजेश गोयल)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Luok

(डॉ राजेश गोयल)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर, पाली

